न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–5445 / 2017

पूजा देवी बनाम जितेश पाठक आदि

23.07.2019

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि उसकी शादी दिनांक 01.03.2016 को विपक्षी जितेश पाठक से हुई थी। उसकी शादी में उसकी आजी, बाबा व विधवा मॉ ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन उसके ससुराल के लोग दिये गये दान देज से खुश नहीं थे। उसके पति जितेश पाठक, ससुर रमेश पाठक, सास सुनैना पाठक, जेठ रितेश पाठक, देवर रोहित पाठक, ननद अनीता पाठक, सुधा पाठक जेठानी दिये गये दान दहेज से के अलावा दो लाख रूपये व एक सोने की जंजीर की मॉग करते थे। उक्त मॉग के बाबत उसने अपने आजी व बाबा से बताया तो उन्होने समझा बुझाकर विदा कर दिया। इस बीच उसके पति जितेश पाठक के संसर्ग से एक पुत्र पैदा हुआ। विपक्षीगण मिलकर परिवादिनी को मारते पीटते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। दिनांक 20.08.2017 को विपक्षीगण उसके ऊपर मिटटी का तेल डालकर आग लगाने जा रहे थे तभी उसने अपनी आजी को फोन कर बताया। आजी तुरन्त आ गयी। आजी के सामने उसे मारने पीटने लगे। वह मौका पाकर बच्चे को छोड़कर पहने हुए कपड़े में भाग आयी।

परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति एवं रजिस्ट्री की रसीद दाखिल किये हैं।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0–1 आदर्श तिवारी एवं पी.डब्लू.–2 सूरज मिश्रा का बयान अंकित कराया है। उक्त साक्षीगण ने परिवाद के कथनों का समर्थन किया है।

प्रस्तुत मामले में परिवादिनी द्वारा दाखिल मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण जितेश पाठक, रमेश पाठक, सुनैना पाठक, रितेश पाठक उर्फ गुड्डू, सुधा पाठक, अनीता पाठक व रोहित पाठक के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण जितेश पाठक, रमेश पाठक, सुनैना पाठक, रितेश पाठक उर्फ गुड्डू, सुधा पाठक, अनीता पाठक व रोहित पाठक धारा 498ए, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जितेश पाठक, रमेश पाठक, सुनैना पाठक, रितेश पाठक उर्फ गुड्डू, सुधा पाठक, अनीता पाठक व रोहित पाठक को धारा 498ए, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दि0 29.08.2019 को पेश हो।

(योगेश कुमार– III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।